

जनपद- हाथरस

◆ □ प्रेस नोट सं०- 1981 ◆ □

◆ दिनांक- 30.12.2024 ◆

!! □ थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या के प्रयास के मुकदमे से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद □ !!

अवगत कराना है कि दिनांक 30.12.2024 योगेन्द्र कुमार पुत्र विजयपाल निवासी नगला अलिया थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस द्वारा थाना हाथरस जंक्शन पर सूचना दी गयी कि दिनांक 29.12.2024 को समय करीब 8.50 बजे शाम को मेरा लडका से रामू पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अलिया थाना हाथरस जंक्शन व विशाल पुत्र राजेश कुमार सिंह निवासी अखईपुर थाना हाथरस जंक्शन ने गाली गलौज की व तमंचा से फायर कर जान से मारने की नियत से फायर किया। जिसके सम्बन्ध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हाथरस जंक्शन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा हाथरस द्वारा उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। जिसके आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोतरी की गयी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विशाल सिंह ठाकुर पुत्र राजेश कुमार निवासी अखईपुर थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।
2. भूपेन्द्र उर्फ रामू पुत्र योगेन्द्र कुमार निवासी नगला अलिया थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विशाल सिंह उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 101/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।
2. मु०अ०सं० 244/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।
3. मु०अ०सं० 246/23 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।
4. मु०अ०सं० 120/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ रामू उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 207/23 धारा 147/149/342/352/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस

- 2.मु0अ0सं0 188/24 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना चन्दपा जनपद हाथरस ।
- 3.मु0अ0सं0 296/24 धारा 323/504/506 भादविसच. थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस ।
- 4.मु0अ0सं0 404/24 धारा 115(2)/333/351(2)/352 बीएनएस थाना थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 444/24 धारा 109/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

थाना प्रभारी योगेश कुमार मय टीम हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस ।

MEDIA CELL HATHRAS